

“विजनेस पोस्ट वे. अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण-हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक: “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 मई, 2008 – वैशाख 17, शक 1930

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन्स, जी.ई. रोड, रायपुर 492 001(छोगो)

फोन 077-4048788, फैक्स : 4073553

रायपुर – दिनांक 7 मई, 2008

क्रमांक 27/सी.एस.ई.आर.सी./2008- विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 15 एवं धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) एवं (स) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छ.रा.वि.नि.आ. (अनुज्ञाप्ति) विनियम, 2004 बनाये गये थे, जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में 04. 01.2005 को हुआ था। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने विनियम यथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदाय एवं संबंधित मुद्दों के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 में कुछ संशोधन किए हैं। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा किए गए कुछ संशोधन प्रासांगिक पाये गये, जिनका समावेश इस आयोग के उपरोक्त विनियमों में करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस आयोग के उपरोक्त विनियमों में कुछ और संशोधन करना आवश्यक समझा गया। अतएव विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 एवं धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) एवं (स) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निम्न विनियम बनाता है, जिसके द्वारा छ.रा.वि.नि.आ. (अनुज्ञाप्ति) विनियम, 2004 को संशोधित किया गया है:-

01 संक्षिप्त नाम एवं प्रारूप:-

- (i) इस विनियम, को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञाप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

02 विनियम 6 अ का समावेश :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञाप्ति) विनियम, 2004 (जो इसके बाद से “ प्रमुख विनियम ” कहे जायेंगे) के विनियम 6 के उपरान्त निम्नानुसार समावेश किया जाएगा:—

“ 6 (A) अनुज्ञाप्ति की अयोग्यता :— आयोग की राय में यदि किसी आवेदक के सम्बन्ध में उसकी “ स्थिति या तथ्य ” ऐसे हैं, जो कि उसकी, केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों एवं बाध्यताओं को पूर्ण करने की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते हैं, तो वह आवेदक इन विनियमों के तहत अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :— इन विनियमों में “ स्थिति एवं तथ्य ” से अभिप्रेत है कि, आवेदक या उसका कोई साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेश, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।

तथापि किसी भी अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन को उपरोक्त कारणों से, आवेदक को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जा सकेगा।”

03 विनियम 8(2) में संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 8(2) के अंत में दर्शाये गये शब्द “ सचिव ” को शब्द “ आयोग ” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

04 विनियम 23 का संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 23 में दर्शाये शब्दों “ 25 वर्ष की अवधि ” को शब्दों “ 25 वर्ष की आधिकतम अवधि ” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

05 विनियम 31 (2) (f) का समावेश

प्रमुख विनियमों के विनियम 31 (2) (e) के उपरान्त विनियम 31(2)(f) का निम्नानुसार समावेश किया जाएगा :—

“ जहाँ आयोग की रूपये में उसकी स्थिति या तथ्य ऐसे हैं, जो कि अनुज्ञाप्ति में निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण करने की अनुज्ञाप्तिधारी की क्षमता के सम्बन्ध में संदेह पैदा करते हैं।

स्पष्टीकरण — इन विनियमों में “ स्थिति या तथ्य ” से अभिप्रेत है, आवेदक या उसका कोई साझेदार अथवा संचालक या समर्थक (Promoter) को किसी न्यायलय द्वारा; नैतिक कार्यों, अभियोग / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हानिप्रद आदेश, बैंक द्वारा अनुज्ञाप्तिधारी या उसके साझेदार, संचालक या समर्थक (Promoter) को दिवालिया घोषित, किसी आर्थिक अपराध में संलग्नता, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक व्यापारिक कार्य, चालाकी पूर्ण व्यापार और कोई अन्य पर्याप्त कारण; पाया जाता है।”

06 विनियम 33(4) का संशोधन –

प्रमुख विनियमों के विनियम 33(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“ पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी ऐसा कोई अनुबंध नहीं करेगा या भिन्न प्रकार से विद्युत व्यापार के कार्य में संलग्न नहीं होगा अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विद्युत व्यापार में सहयोग नहीं करेगा । ”

07 विनियम 34(1)

प्रमुख विनियमों के विनियम 34(1) के अंत में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

“जैसा कि ‘केन्द्रीय अधिनियम की धारा 73 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाए । ’

08 विनियम 43(6) का संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 43(6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“यदि अनुज्ञाप्तिधारी के व्यापार का विस्तार निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पहुंचता हो, अनुज्ञाप्तिधारी अपनी शुद्ध वित्तीय सार्वथ्य बढ़ायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो 31 मार्च को समाप्त होता है, के दौरान विद्युत व्यापार की मात्रा के आधार पर श्रेणी का बदलाव निर्धारित किया जायेगा। अनुज्ञाप्तिधारी अपनी वित्तीय सार्वथ्य के परिवर्तन से आयोग को अवगत करायेगा। व्यापार अनुज्ञाप्ति की श्रेणियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:—

क्र.	व्यापार अनुज्ञाप्ति की श्रेणी	एक वर्ष में विद्युत व्यापार की प्रस्तावित मात्रा (किलो-वॉट आवर्स में)
01.	A	100 मिलियन तक
02.	B	100 से 200 मिलियन तक
03.	C	200 से 500 मिलियन तक
04.	D	500 मिलियन से 700 मिलियन तक
05.	E	700 मिलियन से 1000 मिलियन तक
06.	F	1000 मिलियन से अधिक

09 विनियम 45(2) का संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 45(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“आवेदक अधिकतम विद्युत व्यापार की मात्रा के प्रबंध के बराबर की साख हेतु समुचित पूंजी पर्याप्तता तथा शुद्ध वित्तीय सार्वथ्य 30 दिन (एक माह) के औसत व्यवस्थापन के लिए सदैव बनाये रखेगा। आवेदन के समय विद्युत व्यापारी की शुद्ध वित्तीय सार्वथ्य निम्नानुसार निर्धारित राशि से कम नहीं होना चाहिये :—

क्र.	व्यापार अनुज्ञाप्ति की श्रेणियां	शुद्ध वित्तीय सार्वथ्य (रु. करोड़ में)
1.	A	1.5

2.	B	3.0
3.	C	7.5
4.	D	10.0
5.	E	15.0
6.	F	20.0

10 विनियम 49 का समावेश

प्रमुख विनियमों के विनियम 48 के उपरान्त निम्नानुसार समावेश किया जाएगा:—

“49 अधिकार का संशोधन

उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों में आयोग किसी भी समय, परिवर्तन, सुधार, आशोधन अथवा संशोधन कर सकेगा।”

टीप:— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(एन.के. रूपवानी)
सचिव



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 मई, 2008 – वैशाख 17, शक 1930

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission

Civil Lines, G.E. Road, Raipur - 492 001 (C.G.)

Ph.0771-4048788, Fax: 4073553

www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in

Raipur dated 07.05.2008

No. 27/CSERC/2008 - In exercise of power conferred under section 15 and 181(2) (b)(c) of the Electricity Act, 2003, (the Central Act) the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) has made CSERC (License) Regulations, 2004 which were notified in Chhattisgarh Rajpatra on 04.01.05. In the meantime the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) has made certain amendments in its regulations namely CERC (Procedure Terms and conditions for grant of trading license and other related matters) Regulation 2004. Some of these amendments made by the CERC are relevant and should be incorporated in above regulations of this Commission. Apart from this, incorporation of certain other amendments are also considered necessary. Therefore, this Commission in exercise of power vested in it under section 15 and 181(2) (b)(c) of the Electricity Act, 2003 makes the following regulations to amend CSERC (License) Regulations, 2004 namely:-

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the CSERC (License) Regulations, (First Amendment) 2008
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. Insertion of Regulation 6A

After Regulation 6 of the CSERC (License) Regulations, 2004 (hereinafter called the "Principal Regulations"), the following shall be inserted namely:

6(A) Disqualification for license

No applicant shall be qualified for grant of license under these regulations, if, the Commission is of the opinion that conditions or circumstances exist that raise a doubt about the ability of the applicant to perform duties and obligations under the Central Act.

Explanation- For the purposes of these regulations, " conditions or circumstances" shall mean and include conviction of the applicant or any of its partners, directors or promoters by a court of law of an offence involving moral turpitude; indictment / adverse order by a regulatory authority; conviction of any economic offence, fraudulent and unfair trade practices or market manipulation; or any other sufficient reasons.

Provided that no application for grant of license shall be rejected on the above grounds unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

3. Amendment of Regulation 8(2)

In Regulation 8(2) of the Principal Regulations for the word 'Secretary' appearing at the end of the sentence 'the Commission' shall be substituted.

4. Amendment of Regulation 23

In Regulation 23 of the Principal Regulations, the words "a period of 25 years shall be substituted by a maximum period of 25 years".

5. Insertion of Regulation 31(2) (f)

After clause (e) of Regulation 31(2) of the Principal Regulations, the following shall be inserted

"Where in the opinion of the Commission, conditions or circumstances exist that raise a doubt about the ability of the licensee to perform his duties and obligations under the license."

Explanation- For the purposes of this regulation, 'conditions or circumstances' shall mean and include conviction of the licensee or any of its partners, directors or promoters by a court of law of an offence involving moral turpitude; indictment / adverse order by a regulatory authority; insolvency and bankruptcy of the licensee or any of its partners, directors or promoters; conviction of any economic offence and for fraudulent and unfair trade practices or market manipulation; or any other sufficient reasons".

6. Amendment of Regulation 33(4)

Regulation 33(4) of the Principal Regulations, shall be substituted by the following:
A transmission licensee shall not enter into any contract or otherwise engage in the business of electricity trading, or directly or indirectly associate with the business of an electricity trader.

7. Amendment of Regulation 34(1)

In Regulation 34(1) of the Principal Regulations, the following shall be added at the end, namely, "as specified by Central Electricity Authority from time to time under section 73 of the Central Act".

8. Amendment of Regulation 43(6)

Regulation 43(6) of the Principal Regulations, shall be substituted by the following:

The licensee shall increase his net worth if the volume of trade moves from a lower category to a higher category. The change of category shall be decided based on the volume of electricity traded during the financial year ending 31st March of each year.

The licensee shall keep the Commission informed of his moving from one category to the other. The categories of the trading license are specified hereunder: -

S.N0	Category of the trading license	Volume of electricity proposed to be traded (in kilo-watt hours) in a year
1	A	Upto 100 million
2	B	100 to 200 million
3	C	200 to 500 million
4	D	500 to 700 million
5	E	700 to 1000 million
6	F	Above 1000 million

9. Amendment of Regulation 45(2)

Regulation 45(2) of the Principal Regulations, shall be substituted by the following:

“The applicant shall maintain at all times capital adequacy and net worth sufficient to cover the maximum trading volume over an average settlement period of 30 days (one month) worth of credit. The net worth of the electricity trader at the time of application shall not be less than the amount specified hereunder: -

S.N0	Category of the trading license	Net worth (Rs. in crore)
1	A	1.5
2	B	3.0
3	C	7.5
4	D	10.0
5	E	15.00
6	F	20.00

“

10. Insertion of Regulation 49

After Regulation 48 of the License Regulations, the following shall be inserted namely:

“49 Power to Amend

The Commission may, at any time vary, alter, modify or amend any provision of these regulations. “

By order of the Commission

(N.K. Rupwani)
Secretary